**मुन्तकिली प्रकरण सं0 71/2017 अनवानी राधाकृष्ण वर्तमान में भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–मेजर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी दलियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर 2–गुरमेल सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी दलियांवाला तहसील सादुलशहर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**22.11.2017**

प्रार्थी के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 145/2014 अनवानी मेजर सिंह बनाम गुरमेल सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री भंवर लाल कासोटिया, उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। यदि उनका यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद संख्या 145/2014 अनवानी मेजर सिंह बनाम गुरमेल सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर श्री भंवरलाल कासोटिया का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

**( ज्ञाना राम )**
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर